



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 5260/2026

Mularam S/o Ravtaram, Aged About 30 Years, R/o Village Chibada Magra Kashmir, Police Station Sheo, District Barmer, Rajasthan. (Lodged in Sub Jail, Sanchore)

-----Petitioner

Versus

Union of India, Through NCB

-----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Bhagirath Ray Bishnoi
For Respondent(s) : Mr. M.R. Pareek, Special PP for NCB

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA SHEKHAR SHARMA

Order

1.	Date of conclusion of arguments	22.05.2026
2.	Date on which the order was reserved	22.05.2026
3.	Whether the full order or only operative part is pronounced	Full Order
4.	Date of Pronouncement	26.05.2026

प्रार्थी अभियुक्त **मूलाराम** की ओर से यह जमानत आवेदन धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी अभियुक्त से संबंधित मामले में आक्षेपित विवरण निम्न प्रकार से हैं :-

क्रम संख्या	मामले का विशेष विवरण	
01.	एफ.आई.आर. संख्या	VIII(IO)09/NCB/JZU/2025
02.	संबंधित पुलिस थाना	N.C.B. Jodhpur
03.	जिला	Jodhpur
04.	अपराध अंतर्गत धारा	8/15 व 29 NDPS Act
05.	गिरफ्तारी की दिनांक	28.12.2025

02. मैंने योग्य अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्त व योग्य विशेष लोक अभियोजक की बहस सुनी एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

03. योग्य अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्त ने तर्क दिए कि इस प्रकरण में प्रार्थी के कब्जे से कोई बरामदगी नहीं हुई थी। प्रार्थी अभियुक्त को मात्र सहअभियुक्त के कथनों के आधार पर घटना में संलिप्त किया गया है। समान परिस्थितियों में प्रकरण के ही अन्य सहअभियुक्तगण क्रमशः इन्द्र सिंह व बाबूलाल के जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार किए जा चुके हैं। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण होकर आरोप पत्र भी प्रस्तुत हो चुका है और अब तक के अनुसंधान से इस प्रकार की कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं आई है, जिससे बरामदशुदा अवैध मादक पदार्थ का संबंध प्रार्थी अभियुक्त से स्थापित होता हो। इस प्रकार जिन अन्य सहअभियुक्तगण की जमानत आवेदन स्वीकार किया गया था, उनसे प्रार्थी अभियुक्त का मामला भिन्न नहीं होने एवं विचारण में समय लगने की संभावना होने से यह जमानत आवेदन स्वीकार करने का निवेदन किया।

04. उक्त तर्कों के खंडन में योग्य विशेष लोक अभियोजक ने यह तर्क दिए कि जिस अन्य सहअभियुक्त इन्द्र सिंह का इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा जिस आदेश दिनांक 08.04.2026 के द्वारा जमानत आवेदन स्वीकार किया गया था, उसमें यह तथ्य आया था कि जिस ट्रक से बरामदगी की गई थी, वह ट्रक कमरद्दीन से मूलाराम को बेचान कराया गया था, लेकिन संपूर्ण राशि अदा नहीं करने की वजह से मात्र उस राशि की अदायगी बाबत ही इन्द्र सिंह द्वारा मूलाराम से मोबाइल पर वार्ता की गई थी, जो ट्रक के बकाया रुपयों को लेकर हुई थी और इन्हीं परिस्थितियों में ही इन्द्र सिंह का जमानत आवेदन स्वीकार किया गया था। जबकि एक ओर अन्य सहअभियुक्त बाबूलाल के संबंध में भी जमानत आदेश में मात्र यही तथ्य था कि प्रकरण के सहअभियुक्त खेताराम के कथनों के आधार पर उसे इस प्रकरण में अभियुक्त बनाया गया था। इस प्रकार जिन अन्य सहअभियुक्तगण का जमानत आवेदन पूर्व में स्वीकार किया गया था,

उनसे प्रार्थी अभियुक्त का मामला भिन्न है। प्रार्थी अभियुक्त का बरामदशुदा अवैध मादक पदार्थ से सीधा संबंध स्थापित होता है। जिस सहअभियुक्त द्वारा ट्रक में अवैध मादक पदार्थ लाया जा रहा था, वह ट्रक भी प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाया गया था और वह लगातार मोबाइल से मुख्य सहअभियुक्त के संपर्क में भी था, जबकि बरामदशुदा अवैध मादक पदार्थ की कुल मात्रा 2413.680 किलोग्राम है। अतः प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थी अभियुक्त का जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

05. मैंने उपर्युक्त परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि दिनांक 19.08.2025 को संजीव कुमार, कनिष्ठ आसूचना अधिकारी, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, जोधपुर को मिली एक गुप्त सूचना के आधार पर वह एन.सी.बी. टीम जोधपुर के साथ दिनांक 20.08.2025 को समय लगभग 19:40 बजे धन्वंतरी हॉस्पिटल के पास, एन.एच. 68, राधनपुर-जैसलमेर रोड़, सांचौर पहुंचे थे, जहां पर एक ट्रक संख्या GJ01CZ4923 आता हुआ दिखाई दिया, जिस पर चालक को हाथ का इशारा कर, रुकवाकर उसमें सवार व्यक्ति से नाम-पता पूछा तो उसने अपना नाम खेताराम पुत्र मूलाराम होना बताया था। तत्पश्चात् विधिनुसार ट्रक की तलाशी लेने पर 128 प्लास्टिक के कट्टों में कुल 2413.680 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्त बरामद हुआ था। प्रारम्भिक पूछताछ में ही मुख्य सहअभियुक्त खेताराम ने यह बताया था कि यह बरामदशुदा डोडा पोस्त गुमला, झारखंड से लेकर आया था और मूलाराम नामक व्यक्ति निवासी बाड़मेर को उसके कहे अनुसार बाड़मेर क्षेत्र में डिलीवरी दी जानी थी। इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 67 के तहत मुख्य अभियुक्त खेताराम एवं प्रार्थी अभियुक्त मूलाराम के कथन भी दर्ज किए गए थे और उक्त कथनों एवं अनुसंधान से यह भी स्पष्ट हुआ कि जिस ट्रक से अवैध मादक पदार्थ बरामद हुआ था, वह कमरद्दीन का था और यह ट्रक मूलाराम द्वारा खेताराम को उपलब्ध करवाया गया था। जिस

समय इस ट्रक में खेताराम झारखंड से मूलाराम के कहे अनुसार बरामदशुदा मादक पदार्थ लेकर आ रहा था, तब बीच रास्ते में समय-समय पर मूलाराम अपने मोबाइल नंबर 9251074450 से बात भी कर रहा था और इस काम के लिए मूलाराम ने ही खेताराम को देने के लिए एक लाख रुपये मेहनताना भी तय किया था। मूलाराम, जिसके पास जो अलग-अलग सिम नंबर क्रमशः 7339737545 व 9251074450 थे, इनसे खेताराम के संपर्क में भी था और झारखंड में भी सहअभियुक्त खेताराम अपने नए मोबाइल नंबर 7909082235 से प्रार्थी अभियुक्त मूलाराम के उक्त दोनों ही मोबाइल नंबरों पर संपर्क करता रहा था। उक्त मोबाइल नंबरों की CDR व CAF ID के अनुसार भी मूलाराम की खेताराम के साथ 07 बार बातचीत हुई थी। प्रार्थी अभियुक्त मूलाराम एवं सहअभियुक्त खेताराम के जो कथन अधिनियम की धारा 67 के अधीन लिए गए थे, वे स्वैच्छिक नहीं थे, इस बात का निष्कर्ष इस स्तर पर नहीं निकाला जा सकता है।

06. इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय AIR 2008 SC 1044: Kanhaiyalal v. Union of India में भी अधिनियम की धारा 53, 67 व 42 के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए यह भी स्पष्ट किया गया है कि अधिनियम की धारा 67 के कथन धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के बयानों के समान नहीं है और अधिनियम की धारा 67 के तहत की गई संस्वीकृति को दोषसिद्धि हेतु प्रयोग में लिया जा सकता है।

07. इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय AIR 2011 SC 2490: Ram Singh v. Central Bureau of Narcotics में भी यह स्पष्ट किया गया है कि जो एन.सी.बी. के अधिकारी होते हैं, उनके समक्ष किए गए संस्वीकृति कारक कथन भी साक्ष्य में ग्राह्य किए जा सकते हैं। इस प्रकार प्रकरण में इस स्टेज पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि प्रार्थी अभियुक्त के कथनों के आधार पर और अनुसंधान से संकलित अन्य साक्ष्य से

बरामदशुदा अवैध मादक पदार्थ का प्रार्थी से जो संबंध स्थापित हुआ है, उस पर संदेह किया जा सके, जबकि प्रकरण में अभी विचारण प्रारम्भ होना शेष है।

08. पूर्व में जिन सहअभियुक्तगण के जमानत आवेदन इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार किया जाना बताया गया है, उसमें भी सहअभियुक्त इन्द्र सिंह द्वारा ट्रक के बेचान को लेकर जो कॉल मूलाराम को की गई थी, उसे देखते हुए एवं अन्य सहअभियुक्त बाबूलाल के विरुद्ध मात्र सहअभियुक्त खेताराम के कथनों की स्थिति को देखते हुए जमानत की सुविधा प्रदान की गई थी, जबकि उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी अभियुक्त का प्रकरण पूर्व में जिन अन्य सहअभियुक्तगण के जमानत आवेदन स्वीकार किए गए थे, उनसे भिन्न है और इसी के द्वारा ही मुख्य अभियुक्त खेताराम को प्रकरण में बरामदशुदा ट्रक उपलब्ध करवाया गया था और प्रार्थी अभियुक्त के कहने से ही जब खेताराम झारखंड से अवैध मादक पदार्थ लेकर आ रहा था, तब प्रार्थी उसके संपर्क में भी रहा था।

09. कुल मिलाकर उपर्युक्त विवेचन, प्रस्तुत तर्कों, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, प्रकरण के तथ्यों-परिस्थितियों, अपराध की गंभीरता एवं प्रकरण में जब्तशुदा मादक पदार्थ की मात्रा आदि को दृष्टिगत रखते हुए, इस प्रक्रम पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई विवेचन किए बिना प्रार्थी अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

10. परिणामतः प्रार्थी अभियुक्त **मूलाराम** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता खारिज किया जाता है।

(CHANDRA SHEKHAR SHARMA),J